सत्यमेव जयते

INDIA NON JUDICIAL

Government of Uttar Pradesh

IN-UP66740280713267V

e-Stamp

IV-47/2023

Signature- विद्यासागर
ACC Name-Vidyasagar Singh
ACC Code-UP14286304
ACC Add.-Rasra-Ballia
Mo.-9455189670,L.No.-362/1990
Tehsil-Rasra, District-Ballia

Certificate No.	:	IN-UP66740280713267V
Certificate Issued Date	:	07-Nov-2023 02:15 PM
Account Reference	:	NEWIMPACC (SV)/ up14286304/ RASRA/ UP-BAL
Unique Doc. Reference	:	SUBIN-UPUP14286304290987783482O6V
Purchased by	:	MD SHAHBAN MEMORIAL MUSLIM EDU INST AND C TRUST
Description of Document	:	Article 64 (A) Trust - Declaration of
Property Description	:	Not Applicable
Consideration Price (Rs.)	:	
First Party	:	MD SHAHBAN MEMORIAL MUSLIM EDU INST AND C TRUST
Second Party	:	Not Applicable
Stamp Duty Paid By	:	MD SHAHBAN MEMORIAL MUSLIM EDU INST AND C TRUST
Stamp Duty Amount(Rs.)	:	4,000 (Four Thousand only)

सत्यमेव जयते

LOCKED

Please write or type below this line

इश्तियाक अहमद

RD 0008279099

Statutory Alert:

1. The authenticity of this Stamp certificate should be verified at 'www.shcilestamp.com' or using e-Stamp Mobile App of Stock Holding. Any discrepancy in the details on this Certificate and as available on the website / Mobile App renders it invalid.
2. The onus of checking the legitimacy is on the users of the certificate.
3. In case of any discrepancy please inform the Competent Authority.

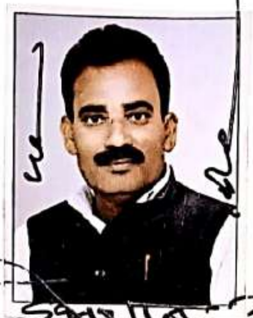

विदित हो कि मु0शहबान मेमोरियल मुस्लिम एजूकेशनल इन्स्टीच्यूट एण्ड चेरिटेबुल ट्रस्ट के नाम से एक ट्रस्ट डीड उप–निबन्धक कार्यालय रसड़ा, जिला बलिया में दिनांक 21.01.2017 को रजिस्ट्रीकृत करायी गयी थी जो वही सं0 4 जिल्द नं022 पृष्ठ संख्या 311 से 386 के कमांक 6 पर पंजीकृत है जो परिवर्तित संशोधित कर प्रस्तुत की जा रही है जिसे दिनांक 21.01.2017 को रजिस्टर्ड डीड का भाग माना जाये तथा यही संशोधित डीड ही मान्य होगी। (रजिस्ट्रेशन संख्या 06/2017 दिनांक 21.01.2017)

संशोधित मु0शहबान मेमोरियल मुस्लिम एजूकेशनल इन्स्टीच्यूट एण्ड चेरिटेबुल ट्रस्ट

(Instrument of Trust)

यह न्यास विलेख आज दिनांक 07.11.2023 को बलिया में **इश्तेयाक अहमद पुत्र स्व0मु0शहबान ग्राम व पोस्ट नगरा तहसील रसड़ा जनपद–बलिया** उत्तर प्रदेश द्वारा घोषित किया गया। जिन्हें आगे न्यासकर्ता/ संस्थापक कहा जायेगा, क्योंकि संस्थापक के पास रूपये 5000/– (पॉच हजार रूपया मात्र) की राशि है जिसे कि वह पुरूषार्थ एवं सामाजिक कार्यो जिसमें मुख्य रूप से राष्ट्रप्रेम, पर्यावरण सुरक्षा, जागरूकता, शिक्षा स्वास्थ्य, शिक्षा अल्पसंख्यक, पिछड़ा व अनुसूचित जाति/जनजाति के वर्ग के गरीबों के उत्थान तथा बाल विकास हेतु दान देने की इच्छा रखते हैं। न्यासकर्ता/संस्थापक उक्त राशि का अप्रति संहरणीय न्यास बनाने हेतु इच्छुक हैं, जो कि समाज एवं सामाजिक उत्थान एवं विशेष रूप से महिलाओं एवं बच्चों के अधिकार व शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करेगा, मैं **इश्तेयाक अहमद** मुख्य संस्थापक ट्रस्टी/प्रबन्धक/ सचिव व **ओसामान इश्तियाक पुत्र इश्तेयाक अहमद ग्राम व पोस्ट नगरा तहसील रसड़ा जनपद–बलिया** (संस्थापक ट्रस्टी द्वितीय/उप प्रबन्धक/उपसचिव नियुक्त करते हुए यह **मु0शहबान मेमोरियल मुस्लिम एजूकेशनल इन्स्टीच्यूट एण्ड चेरिटेबुल ट्रस्ट** के नाम से जाना जायेगा तथा कार्य करेगा जिसे की आगे संक्षिप्त में ट्रस्ट भी कहा जायेगा। जो पूर्व में दिनांक 21.01.2017 को पंजीकृत है।

इश्तेयाक अहमद

परिषद विनियमों के अध्याय–7 के विनियम–6 के पश्चात संशोधित स्वरूप नवीन विनियम 6 ख के अनुसार इण्डियन ट्रस्ट एक्ट 1882 के अन्तर्गत कार्यरत ट्रस्ट का नाम व पता निम्नवत् है:–

ट्रस्ट/न्यास का नाम **मु0शहबान मेमोरियल मुस्लिम एजूकेशनल इन्स्टीच्यूट एण्ड चेरिटेबुल ट्रस्ट**

ट्रस्ट का पता **ग्राम व पोस्ट नगरा थाना नगरा तहसील रसड़ा जनपद बलिया (उ0प्र0) भारत**

मुख्यालय– पंजीकृत कार्यालय **ग्राम व पोस्ट नगरा थाना नगरा तहसील रसड़ा जनपद बलिया उ0प्र0) भारत** जिसे आवश्यकतानुसार कही भी स्थानान्तरित किया जा सकता है।

ट्रस्ट का कार्य क्षेत्र उत्तर प्रदेश सहित सम्पूर्ण भारत

ट्रस्ट में निम्नलिखित व्यक्तियों ने ट्रस्टी सदस्य बनने हेतु अपनी सहर्ष सहमति प्रदान किया है:–'

1. इश्तेयाक अहमद पुत्र स्व0मु0शहबान ग्राम व पोस्ट नगरा जनपद बलिया संस्थापक ट्रस्टी/प्रथम/प्रबन्धक/सचिव
2. ओसामा इश्तेयाक पुत्र इश्तेयाक अहमद ग्राम व पोस्ट नगरा जनपद बलिया संस्थापक ट्रस्टी द्वितीय/उपप्रबन्धक/उपसचिव

3 मु0 इम्तियाज पुत्र स्व0मु0शहबान ग्राम व पोस्ट नगरा जनपद बलिया सदस्य

4. जेबा परवीन पुत्री अमानुल्लाह ग्राम व पोस्ट नगरा जनपद बलिया सदस्य
5. सेहला अन्जुम पुत्री मीर अब्दुल हमीद ग्राम व पोस्ट नगरा जनपद बलिया सदस्य
6. आयान इश्तेयाक पुत्र इश्तेयाक अहमद ग्राम व पोस्ट नगरा जनपद बलिया सदस्य
7. उमर इश्तेयाक पुत्र इश्तेयाक अहमद ग्राम व पोस्ट नगरा जनपद बलिया सदस्य

इश्तेयाक अहमद

संशोधित प्रारम्भिक उपबन्ध

1. वर्तमान के ट्रस्ट डीड के पंजीकृत दिनांक 07.11.2023 से **इश्तेयाक अहमद** जो कि न्यासकर्ता एवं इस न्यास विलेख के रचयिता भी हैं को इस ट्रस्ट डीड का मुख्य संस्थापक ट्रस्टी / प्रबन्धक/सचिव स्वीकृत किया जाता है।
2. यदि वर्तमान में उक्त मुख्य संस्थापक ट्रस्टी प्रथम/प्रबन्धक/सचिव किन्हीं कारणो से अनुपस्थित हों तो उनके कार्यो का सम्पाादन मुख्य संस्थापक ट्रस्टी द्वितीय/उप प्रबन्धक/उपसचिव अपने हस्ताक्षर से करेगा तथा मुख्य संस्थापक ट्रस्टी प्रथम/ प्रबन्धक/सचिव को अवगत करायेगा।
3. यदि वर्तमान में मुख्य संस्थापक ट्रस्टी प्रथम/प्रबन्धक/सचिव द्वारा रजिस्ट्रार के यहॉ रजिस्ट्री कर सुनिश्चित किया जाता है तो उसके पश्चात उनकी पति,पत्नी पुत्र,पुत्र बधू पौत्र, पौत्र बधू जो हों इस ट्रस्ट के मुख्य संस्थापक ट्रस्टी प्रथम/प्रबन्धक/सचिव होगें। यदि उनके पुत्र/पौत्र बालिग न हो तो इस दशा में इनकी पति/पत्नी इस ट्रस्ट की मुख्य संस्थापक ट्रस्टी प्रथम/प्रबन्धक/सचिव होगी जब तक कि उनके पुत्र, पुत्रबधू पौत्र ,पौत्र बधू कानूनी रूप से बालिग न हो जायॅ।
4. वर्तमान में मुख्य संस्थापक ट्रस्टी प्रथम/प्रबन्धक/सचिव अपने जीवन काल में ही जब चाहे अपना उत्तरदायित्व अपने उत्तराधिकारियों को स्थानान्तरित कर सकते है।
5. मुख्य संस्थापक ट्रस्टी प्रथम/प्रबन्धक/सचिव को चाहिये कि अपने उत्तराधिकारी मुख्य संस्थापक ट्रस्टी प्रथम/प्रबन्धक/सचिव को लिखित रूप से अपने हस्ताक्षर करके व्यक्त कर दे कि मुख्य संस्थापक ट्रस्टी प्रथम/ प्रबन्धक/सचिव की यह व्यवस्था रजिस्ट्रार के यहॉ रजिस्टर्ड कराये अथवा अपनी वसीयत द्वारा भी सुनिश्चित कर सकता है। इस संदर्भ में यह भी स्पष्ट करना है कि कार्यरत मुख्य संस्थापक ट्रस्टी प्रथम/प्रबन्धक/सचिव द्वारा अपने जीवनकाल के उत्तरार्द्ध में की गयी वसीयत/इच्छा/ व्यवस्था ही अन्तिम रूप से मान्य होगी।

बोर्ड आफ ट्रस्टीज

1 यह कि मुख्य संस्थापक ट्रस्टी प्रथम/प्रबन्धक/सचिव यदि उचित समझे तो विषयों पर विचार विमर्श करने एवं सलाह प्राप्त करने हेतु बोर्ड आफ ट्रस्टीज का गठन कर सकता है जिसमें कि अधिकतम 7 (सात) सदस्य होगें।

इश्तेयाक अहमद

आवेदन सं०: 202300977006027

बही स०: 4 रजिस्ट्रेशन स०: 47 वर्ष: 2023

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमुन व प्राप्त धनराशि रु प्रलेखानुसार उक्त

न्यासी: 1

श्री संशो० मु०श०मे०मु०द्वा०इश्तेयाक, पुत्र श्री स्व० मु० शहबान

निवासी: नगरा तहसील रसड़ा जिला बलिया

व्यवसाय: कृषि

ने निष्पादन स्वीकार किया । जिनकी पहचान

पहचानकर्ता : 1

श्री गुफरान आजम , पुत्र श्री अमानुल्लाह

निवासी: पड़सरा नदौनी ताजपुर जिला बलिया

व्यवसाय: कृषि

पहचानकर्ता : 2

श्री अमहद रजा , पुत्र श्री अमीररूल्लाह

निवासी: पड़सरा नदौनी ताजपुर जिला बलिया

व्यवसाय: कृषि

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

ने की । प्रत्यक्षत:भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार लिए गए है ।
टिप्पणी :

अजय कुमार .
उप निबंधक : रसड़ा
बलिया
07/11/2023

शैलेन्द्र शाही .
निबंधक लिपिक बलिया
07/11/2023

प्रिंट करें

2. यह कि मुख्य संस्थापक ट्रस्टी प्रथम/प्रबन्धक/सचिव किसी भी व्यक्ति को ट्रस्टी मनोनीत करते समय उसका कार्यकाल स्पष्ट करेगा। ट्रस्टी की कार्य अवधि मुख्य संस्थापक ट्रस्टी प्रथम/प्रबन्धक /सचिव की इच्छा पर निर्भर करता है तथा मुख्य संस्थापक ट्रस्टी प्रथम/प्रबन्धक/सचिव किसी भी व्यक्ति का कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व ही बिना किसी कारण बताये ट्रस्टी/सदस्य पद से हटा सकता है।

3. यह कि मुख्य संस्थापक ट्रस्टी प्रथम/प्रबन्धक/सचिव जब भी उचित समझे बोर्ड आफ ट्रस्टीज की बैठक आवश्यक सूचना पर आयोजित कर सकता है। जिसकी अध्यक्षता मुख्य संस्थापक ट्रस्टी प्रथम/प्रबन्धक/सचिव स्वयं करेगा

4 यह कि बोर्ड आफ ट्रस्टी उन्हीं विषयों पर विचार करेगा तथा सुझाव देगा जिनको कि मुख्य संस्थापक ट्रस्टी प्रथम/प्रबन्धक/सचिव द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

5. यह कि बोर्ड आफ ट्रस्टीज द्वारा किसी भी सुझाव को मानना स्वीकार करना अथवा अस्वीकार करना पूर्णतया मुख्य संस्थापक ट्रस्टी प्रथम/प्रबन्धक/सचिव की इच्छा एवं विवेक पर निर्भर करता है इस संदर्भ में मुख्य संस्थापक ट्रस्टी प्रथम/प्रबन्धक/सचिव के द्वारा लिया गया निर्णय ही मान्य एवं अन्तिम होगा।

6. मु0शहबान मेमोरियल मुस्लिम एजूकेशनल इन्स्टीच्यूट एण्ड चेरिटेबुल ट्रस्ट नगरा, बलिया का रजिस्ट्रीकरण आपके कार्यालय द्वारा वही सं0 4 जिल्द नं022 पृष्ठ संख्या 311 से 386 के कमांक 6 पर दिनांक 21.01.2017को रजिस्ट्रीकृत किया गया था जिसमें कुल 11 सदस्य/ट्रस्टी पंजीकृत हुए थे। कुछ सदस्य ट्रस्टी/सदस्य ट्रस्टी के व संचालित संस्थाओं के हित विरोधी कार्यो में संलिप्त थे। उन्हें काफी समझाया बुझाया गया परन्तु वे अपनी हरकतों से बाज नहीं आये जिसके कारण ट्रस्ट की बैठक दिनांक 24.09.2023 द्वारा एक प्रस्ताव पारित कर ट्रस्ट के नियमावली के बोर्ड आफ ट्रस्टीज के बिन्दु–2 के तहत अधिकारों का प्रयोग करते हुए उनकी सदस्यता समाप्त कर दी गयी है जिनके नाम कमशः मु0इरफान, मु0रिजवान, नसरीन बेगम, माहेलका, सहनवाज, मु0इमरान व फैजान रिजवान है। इनके स्थान पर ओसामा इश्तेयाक उमर इश्तेयाक व आयान इश्तेयाक पुत्रगण इश्तेयाक अहमद नये सदस्य बनाये गये है।

इश्तेयाक अहमद

आवेदन सं०: 202300977006027

न्यास पत्र

बही स०: 4 **रजिस्ट्रेशन स०:** 47 **वर्ष:** 2023

प्रतिफल- 5000 स्टाम्प शुल्क- 4000 बाजारी मूल्य - 0 पंजीकरण शुल्क - 100 प्रतिलिपिकरण शुल्क - 60 योग : 160

श्री संशो० मु०श०मे०मु०द्वा०इश्तेयाक ,
पुत्र श्री स्व० मु० शहबान
व्यवसाय कृषि
निवासी: नगरा तहसील रसड़ा जिला बलिया

ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनाँक 07/11/2023 एवं 03:13:11 PM बजे निबंधन हेतु पेश किया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

अ[illegible] कुमार .
उप निबंधक :रसड़ा
बलिया
07/11/2023

शैलेन्द्र शाही .
निबंधक लिपिक
07/11/2023

प्रिंट करें

प्रतिबन्धों की स्वीकृति

(क) विद्यालय चूँकि ट्रस्ट द्वारा संचालित है इसलिए यह प्रतिबन्ध लागू नहीं है।

(ख) विद्यालय की प्रबन्ध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा।

(ग) विद्यालय में कम से 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के मेधावी बच्चों के लिए सुरक्षित रहेगें और उनसे उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नही लिया जायेगा।

(घ) संस्था द्वारा राज्य सरकार से कोई अनुदान की मॉग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की सम्बद्धता सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ सेकेण्ड्री एजूकेशन नई दिल्ली काउंसिल फॉर दि इण्डियन स्कूल सर्टिफिकेट एक्जामिनेशन, नई दिल्ली से प्राप्त होती है तो उक्त परीक्षा परिषदों से सम्बद्धता प्राप्त होने की तिथि से परिषद से मान्यता और राज्य सरकार से अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेगी।

(ङ) संस्था के शिक्षण एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों की राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को अनुमन्य वेतनमानों तथा अन्य भत्तो से कम वेतनमान तथा अन्य भत्ते नहीं दिये जायेगें।

(च) कर्मचारियों की सेवा शर्ते बनायी जायेगी और उन्हें सहायता प्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में कर्मचारियों को अनुमन्य सेवानिवृत्त लाभ उपलब्ध कराये जायेगें।

(छ) राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेगें संस्था उसका पालन करेगी।

(ज) विद्यालय में हिन्दी अनिवार्य विषय के रूप मे पढाई जा रही है तथा भविष्य में भी हिन्दी अनिवार्य रूप से पढाई जायेगी।

(झ) विद्यालय का रिकार्ड प्रपत्र पंजिकाओं में रखा जायेगा।

(ञ) उपर्युक्त कम क से झ में कोई परिवर्तन संशोधन बिना शासन एवं विभाग की अनुमति से नहीं किया जायेगा।

(ट) उपर्युक्त कम क से झ तक के प्रतिबन्धों को ट्रस्ट अपने बाइलाज में सम्मिलित कर चुका है। तथा सभी शर्ते मान्य होगी।

आवेदन सं०: 202300977006027

बही सं० 4 रजिस्ट्रेशन सं० 47 वर्ष 2023

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमुन व प्राप्त धनराशि रु प्रलेखानुसार उक्त

न्यासी: 1

श्री संशो० मु०श०मे०मु०ट्रा०इश्तेयाक, पुत्र श्री स्व० मु० शहबान

निवासी: नगरा तहसील रसड़ा जिला बलिया

व्यवसाय: कृषि

ने निष्पादन स्वीकार किया । जिनकी पहचान

पहचानकर्ता : 1

श्री गुफरान आजम , पुत्र श्री अमानुल्लाह

निवासी: पड़सरा नदौनी ताजपुर जिला बलिया

व्यवसाय: कृषि

पहचानकर्ता : 2

श्री अमहद रजा , पुत्र श्री अमीररूल्लाह

निवासी: पड़सरा नदौनी ताजपुर जिला बलिया

व्यवसाय: कृषि

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

न की । प्रत्यक्षतः भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार लिए गए है ।
टिप्पणी :

अशोक कुमार
उप निबंधक : रसड़ा
बलिया
07/11/2023

शैलेन्द्र शाही
निबंधक लिपिक बलिया
07/11/2023

प्रिंट करें

मुख्य संस्थापक ट्रस्टी प्रथम/प्रबन्धक/सचिव के स्पष्ट हस्ताक्षर

गवाह

1. गुफरान आजम पुत्र अमानुल्लाह ग्राम पडसरा नदौली ताजपुर पोस्ट रामपुर कानूनगोयान, जनपद बलिया
   मो0–9839405734

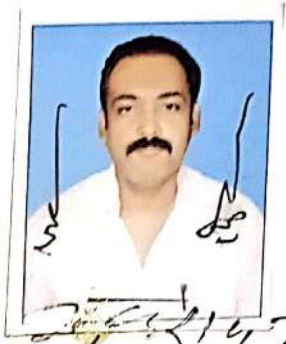

2. अहमद रजा पुत्र अमीरूल्लाह ग्राम पडसरा नदौली ताजपुर पोस्ट रामपुर कानूनगोयान, जनपद बलिया
   मो0–9793578548

लेखक दिनेश मिश्र एड0
रसड़ा बलिया दि0 6-11-2023

आवेदन सं०: 202300977006027

बही संख्या 4 जिल्द संख्या 57 के पृष्ठ 221 से 234 तक क्रमांक 47 पर दिनाँक 07/11/2023 को रजिस्ट्रीकृत किया गया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

अजय कुमार .
उप निबंधक : रसड़ा
बलिया
07/11/2023

प्रिंट करें